विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0024812

श्री राधेश्याम हरिगोपाल,
ग्राम रहमपुरा, ब्लॉक छेगांवमाखन, — आवेदक
जिला – खण्डवा (म.प्र.)

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (संचा/संधा),
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, — अनावेदकगण
पन्धाना (म.प्र.)

(आदेश दिनांक 04.03.2013)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक W0223412 श्री राधेश्याम हरिगोपाल विरूद्ध कार्यपालन यंत्री (संचा/संधा) में पारित आदेश दिनांक 10.05.2012 से असंतुष्ठ होकर आवेदक उपभोक्ता द्वारा यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है ।

2. आवेदक उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि उसने विद्युत सहकारी समिति मर्यादित, पंधाना से ग्रामीण क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग के लिये विद्युत ऊर्जा के उपयोग की अनुमति प्राप्त की थी, परन्तु विद्युत सहकारी समिति मर्यादित, पंधाना द्वारा उसे जो बिल जारी किये गये हैं, वह शहरी क्षेत्र के दर से जारी किये गये हैं, अतः उसे अपास्त किया जाए और उपभोक्ता द्वारा इस प्रयोजन हेतु जो राशि जमा कराई गई है उसका समायोजन अग्रिम बिल में किया जाए ।

3. उपभोक्ता की इस शिकायत का प्रतिवाद विद्युत सहकारी समिति मर्यादित, पंधाना द्वारा इस आधार पर किया गया था कि उपभोक्ता को यद्यपि ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा का उपभोग करने की अनुमति दी गई है, परन्तु उसका उद्योग जिस क्षेत्र में स्थित है वहां पर सहकारी क्षेत्र की तरह विद्युत प्रदाय किया जाता है, ऐसी स्थिति में उसे शहरी क्षेत्र के लिये लागू दरों के लिये विद्युत ऊर्जा के प्रभार की मांग की गई है ।

4. अनावेदक की ओर से फोरम के समक्ष यह भी आपत्ति की गई कि आवेदक उपभोक्ता विद्युत वितरण कम्पनी का उपभोक्ता नहीं है । उसे जो विद्युत ऊर्जा के प्रभार के भुगतान के लिए बिल दिया गया है, वह सहकारी समिति के समय के हैं, अतः ऐसे मामले को सुनने का क्षेत्राधिकार फोरम को नहीं है ।

5. फोरम ने यह पाया था कि ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति मर्यादित, पंधाना का विद्युत प्रदाय संबंधी कागजात देखने हेतु मप्रपक्षेविविकं लिमिटेड को अधिकृत किया गया है तथा विद्युत सहकारी समिति मर्यादित, पंधाना का उक्त कम्पनी में समावेश नहीं किया गया है, जिसके संबंध में एक वाद उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है । यद्यपि दिनांक 21.05.11 के पश्चात ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति मर्यादित, पंधाना के सभी उपभोक्ता कम्पनी से सीधे विद्युत प्राप्त कर रहे हैं और आवेदक उपभोक्ता को भी एच.टी. कनेक्शन पर विद्युत कनेक्शन दिया जा रहा है । अतः उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में फोरम ने यह निष्कर्ष दिया था कि विवाद उस समय का है, जब वितरण लाईसेंसी का अस्तित्व नहीं था । विवाद ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति मर्यादित, पंधाना के समय का है और उक्त समिति का विलय वितरण लाईसेंसी अर्थात् कम्पनी में होने का विवाद उच्च न्यायालय में लंबित है और उपभोक्ता को वितरण कम्पनी द्वारा विद्युत प्रदाय किया जा रहा है । अतः शिकायत से संबंधित विवाद का अध्ययन फोरम द्वारा नहीं किया जा सकता है । अतः परिवाद को खारिज किया जाता है ।

उक्त तथ्य के परिपेक्ष्य में विचारणीय प्रश्न यह है कि – क्या विवाद का निराकरण करने का क्षेत्राधिकार फोरम को है ?

<u>कारणों सहित आदेश इस प्रकार है :</u>

6. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति मर्यादित, पंधाना का अस्तित्व था तथा इस समिति के जो सदस्य थे अर्थात् जो उपभोक्ता थे उनके द्वारा उपभोग किये गये विद्युत ऊर्जा के प्रभार की वसूली का कार्य विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा किया जा रहा है । यह मान्य सिद्धान्त है कि अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़े होते हैं तथा यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई अधिकार प्राप्त होते हैं तो उस अधिकार से संबंधित कर्तव्य तथा दायित्व भी उस पर अधिरोपित होते हैं । ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति मर्यादित, पंधाना द्वारा उपभोक्ता से विद्युत ऊर्जा के प्रभार की वसूली पाने का अधिकार यदि वितरण कम्पनी को था तो ऐसे बिल के उचित होने या न होने का निर्णय लेने का दायित्व भी विद्युत वितरण कम्पनी पर आता है । समिति के विलय का प्रश्न विवादित है तथा मामला उच्च न्यायालय में लंबित है, इससे उपभोक्ता के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उपभोक्ता द्वारा देय बिल यदि वितरण कम्पनी को प्राप्त होते हैं तो यह राशि विलय न होने की स्थिति में कम्पनी को सहकारी समिति को देना होगा और यदि विलय हो जाता है तो वह राशि कम्पनी के पास रहेगी । इस मामलें में विवाद सहकारी समिति का कम्पनी में विलय होने या नहीं होने का नहीं है अपितु उपभोक्ता द्वारा

देय राशि का है तथा इस विवाद का निपटारा करने का अधिकार इस प्रयोजन हेतु गठित विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम को है ।

7. उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में यह पाया जाता है कि फोरम का यह निष्कर्ष कि उपभोक्ता की शिकायत पर उसके द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है, उचित तथा विधिसंगत नहीं है । अतः फोरम का उक्त आदेश अपास्त किया जाता है तथा उपभोक्ता कि शिकायत से संबंधित मामले को फोरम को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण गुण–दोषों के आधार पर पक्षकारों के उपस्थित होने की दिनांक से 3 माह की अवधि के अन्दर किया जाए । उभयपक्ष दिनांक 30.03.2013 को फोरम के समक्ष उपस्थित हो ।

8. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल